**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**
**पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.**

अपील संख्या : 99/2017

**अपीलांट**

श्रीमती पानी पुत्री हुकमाराम पत्नी श्री जोराराम, जाति सिरवी, निवासी चंडावल हाल अटबडा तहसील सोजत जिला पाली।

**बनाम**

**रेस्पोडेन्टस्**

1. देवाराम पुत्र हुक्माराम, जाति सीरवी,
   निवासी चण्डावल, हाल सांई बाबा ज्वैलर्स,
   दुकान सं 2–6–42 सुभाष रोड, सदाशिव पेट,
   जिला मेडक(आंध्रप्रदेश)

2. किशनाराम उर्फ किशनलाल पुत्र हुक्माराम,
   जाति सीरवी, निवासी चण्डावल, हाल– बालाजी
   ज्वैलर्स, मनी लैण्ड एण्ड ब्रोकर्स सोप संख्या 2–1–101
   स्टेशन रोड, जनगांव, जिला वरगल (आंन्ध्रप्रदेश) 560167

3 लच्छा पुत्र रावत,
4 रावत पुत्र नेना,
5 सुकडी पत्नी रहिंग,
6 नानग पुत्र भाना,
7 मंगीदेवी पत्नी देदा,
8 हरदेव पुत्र भूरा,
9 रामचन्द्र पुत्र चिमना
10 मांगीलाल पुत्र जोगाराम,
11 मिश्रीलाल पुत्र जोगाराम,
12 पेमाराम पुत्र जोगाराम,
13 देदाराम पुत्र शिवदान
14 गोमाराम पुत्र शिवदान,
15 जीयाराम पुत्र शिवदान,
16 छैला पुत्र नन्दा,
17 भोमा पुत्र मुकनाराम,
18 तेजाराम पुत्र मुकनाराम,
19 सिणगारी पुत्र मुकनाराम,
20 भंवरीदेवी पत्नी टिकमराम,
21 भगवानराम पुत्र टिकमराम,
22 प्रकाश पुत्र टिकमराम,
23 21,22 की कुदरती वली माता भंवरीदेवी नं 20
24 जेठाराम पुत्र लिखमा,
25 घीसाराम पुत्र लिखमा,
26 रूगाराम पुत्र लिखमा,
27 खींवाराम पुत्र लिखमा,
28 तिजाई पत्नी लिखमा,
29 हेमा पुत्र हुका,
30 रतना पुत्र हुका
31 पुना पुत्र हुका
32 मोहन पुत्र हुका
33 जसा पुत्र वेणा,
34 घेवरराम पुत्र तेजाराम,
35 चौथी पत्नी तेजाराम के कायम मुकाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

35/1 घेवरराम पुत्र तेजाराम,
35/2 कुकी उर्फ भंवरी पुत्री तेजाराम,
35/3 माडीदेवी पुत्री तेजाराम,
35/4 लीला पुत्री तेजाराम,
जातियान सीरवी, निवासीगण चण्डावल,
तहसील सोजत।
36 घीसा पुत्र हीरा,
37 घेवरराम पुत्र तेजाराम,
38 भोमाराम पुत्र तुलछा,
39 नारायण पुत्र तुलछा
40 चुनकी पत्नी तुलछा के कायम मुकाम–
40/1 नारायण पुत्र तुलछा,
40/2 भोमा पुत्र तुलछा,
40/3 दाखुदेवी पुत्री तुलछा,
40/4 गीतादेवी पुत्री तुलछा
40/5 कुकीदेवी पुत्री तुलछा
40/6 विघादेवी पुत्री तुलछा
41 टिकम पुत्र पुखाराम,
42 कानाराम पुत्र पुखाराम,
43 जसकी पत्नी देवाराम, जातियान सीरवी,
44 रामचन्द्र पुत्र मंगलाराम, जाति माली,
45 जोगाराम पुत्र पुखाराम,
46 रतनाराम पुत्र नैना,
47 जीता पुत्र नैना,
48 रूपाराम पुत्र जैरूप
49 कानाराम पुत्र जैरूप
50 नेमा पुत्र मगा,
51 घेवर पुत्र मगा,
52 हींगली पत्नी मगा
53 रतना पुत्र गुणेश, जातियान सीरवी,
54 नाथुराम पुत्र काना,
55 रामलाल पुत्र काना,
56 बस्तीमल पुत्र काना,
57 पानी पत्नी काना, जातियान घांची,
58 समदुडी पत्नी मोटा जाति सीरवी
59 सिकन्दर अली पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबुबक्ष
60 शौकत अली पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबुबक्ष
61 लियाकत अली पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबुबक्ष
62 मोहम्मद शरीफ पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबुबक्ष
63 मोहम्मद आरीफ पुत्र मदार बक्ष उर्फ बाबुबक्ष
64 मु जन्नत अली पत्नी मदारबक्ष उर्फ बाबुबक्ष के कायम मुकाम–
64/1 सिकन्दर अली पुत्र मदार बक्ष,
64/2 शौकतअली पुत्र मदार बक्ष,
64/3 लियाकतअली पुत्र मदार बक्ष
64/4 मोहम्मद शरीफ पुत्र मदार बक्ष
64/5 मोहम्मद आरीफ पुत्र मदार बक्ष
64/6 सतारा पुत्री पुत्र मदार बक्ष
64/7 कंचन पुत्री पुत्र मदार बक्ष
64/8 मुनीया पुत्री मदार बक्ष,
जातियान मुसलमान, समस्त निवासीगण चण्डावल,
65 तहसीलदार, सोजत।



राजस्व अपील प्राधिकारी

उपस्थित :–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 65 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 09.05.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी मारवाड सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2016 व आदेश दिनांक 04.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 64 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई रिलीफ नही चाही गई है। अपीलांट संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घो ाणा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध कोई भी अपील रेस्पोडेन्टगण द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में त्रुटि होने तथा अपीलाधीन निर्णय की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 13.07.2016 को पालना किये जाने पर उक्त पालना रिर्पोट दिनांक 13.07.2016 का अवलोकन अपीलांट द्वारा किये जाने के पश्चात अपीलांट द्वारा लिपिकीय त्रुटि को सुधारने बाबत तत्काल धारा 152 सी.पी.सी का आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2016 में संशोधन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन मे वर्णित खसरा नंबर 1839 के पश्चात 1840 व 1840 के पश्चात 1841 व खसरा नंबर 1880 के प्श्यात 1881 एवं खसरा नंबर 761 के प्श्चात 762 को जोडे जाने का आदेश पारित किया एवे अन्य अनुतोष के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी व उसकी साक्ष्य का बिना विवेचन किये पुनः निर्णय दिनांक 04.10.2017 को पारित किया। जो कि विधिसम्मत नही है। अपीलांट हुकमा उर्फ हुक्का पुत्र धुलारामजी की जायंदा पुत्री होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम चण्डावल में 1/3 हिस्से की भूमि में रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम चंडावल के खाता संख्या 361, 362, 363 व 364 की भूमि के संबध में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के बावजूद जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना हेतु हल्का पटवारी व तहसीलदार को प्रेषित की गई जो पालना रिर्पोट दिनांक 13.07.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रेर्शित किये जाने के पश्चात आवेदन तत्काल दिनांक 20.07.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के, बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये वाद में प्रस्तुत साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए निर्णय दिनांक 04.10.2017 पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी. सी के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम चंडावल के खाता संख्या 361, 362, 363 व 364 की भूमि में अपीलांट को हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध कोई भी अपील रेस्पोडेन्टगण द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में त्रुटि होने तथा अपीलाधीन निर्णय की पालना में हल्का पटवारी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांक 13.07.2016 को पालना किये जाने पर उक्त पालना रिर्पोट दिनांक 13.07.2016 का अवलोकन अपीलांट द्वारा किये जाने के पश्चात अपीलांट द्वारा लिपिकीय त्रुटि को सुधारने बाबत तत्काल धारा 152 सी.पी.सी का आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2016 में संशोधन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन मे वर्णित खसरा नंबर 1839 के पश्चात 1840 व 1840 के पश्चात 1841 व खसरा नंबर 1880 के प्श्यात 1881 एवं खसरा नंबर 761 के प्श्चात 762 को जोडे जाने का आदेश पारित किया एवं अन्य अनुतोष के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी पर निर्णय दिनांक 04.10.2017 को पारित किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 152 सी.पी.सी के अन्तर्गत खसरा नंबर 1840 रकबा 4.67 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1841, खसरा नंबर 1881, खसरा नंबर 762 का निर्णय में त्रुटिवश टंकण से लिखना रहने बाबत दर्ज करने बाबत निवेदन किया। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पद संख्या 03, 04, व 06 के अन्तर्गत खाता संख्या 361 खाता संख्या 362 एवं खाता संख्या 364 के संबध में चौथीदेवी के स्थान पर पानीदेवी पुत्र हुकमा का हिस्सा दर्ज कर निर्णय में संशोधन करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03, 04, 06 में वर्णित खसरो की इस्तदुआ खारिज करते हुए उक्त खसरो के संबध में अपीलीय प्रावधानो के तहत अपील करने हेतु स्वतंत्र होने का हवाला देते हुए निर्णय पारित किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत कर खाता संख्या 361 खाता संख्या 362 एवं खाता संख्या 364 में चौथीदेवी के स्थान पर पानीदेवी पुत्र हुकमा हिस्सा दर्ज कर संशोधन करने की इस्तदुआ चाही। जबकि निर्णय में हुई लिपिकीय त्रुटि को प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी के तहत सुधारा जा सकता हैं किन्तु अपीलांट द्वारा उक्त खसरान में चौथीदेवी के स्थान पर पानीदेवी पुत्री हुकमा का हिस्सा निर्णय में दर्ज कर संशोधन करने की इस्तदुआ चाही, जो कि प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी के तहत दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2016 व दिनांक 04.10.2017 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सी.पी.सी के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। जिसमे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2016 व दिनांक 04.10.2017 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली